क्रमांक -

नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पुस्तिका

श्रीमती वसुन्धरा राजे
मुख्य मंत्री
राजस्थान सरकार

राजस्थान टॉउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत निज़ी खातेदारी की अनुमोदित योजना खसरा नं. 259 एवं 260 रामनगर में कमज़ोर आय वर्ग (EWS) के लिये आरक्षित प्लॉटों का आवंटन

श्री राजपाल सिंह शेखावत
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री
राजस्थान सरकार

आवेदन पत्र का विक्रय आरम्भ करने की तिथि	02 मई 2016
आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	21 मई 2016

300/-

आवेदन पत्र HDFC BANK की कोटा स्थित किसी भी शाखा से प्राप्त कर जमा करवाये जा सकते है इसके अतिरिक्त ई–मित्र के समस्त केन्द्रों के द्वारा Online आवेदन करने की भी सुविधा उपलब्ध है।

आवेदन पत्र दिनांक02.05.2016 से
21.05.2016 तक रू.300/- के शुल्क पर
एचडीएफसी बैंक की निम्नलिखित शाखाओं
से बैंक समय प्रातः 9.30 से अपरान्ह 4.30 तक प्राप्त
किये जा सकते हैं तथा इसी अवधि में निम्न
बैंक शाखाओं में जमा करवाये जा सकतें है।

एच .डी.एफ. सी.बैंक लिमिटेड

HDFC BANK LTD.

हम समझे आपकी दुनिया

- HDFC Bank Ltd.
  Showroom No 13-14, Main
  Jhalawar Road Kota- 324007
- HDFC Bank Ltd. 1 A 1 SFS
  Sheela Choadhary Road
  Kota- 324008
- HDFC Bank Ltd.
  Gandhi Chowk Purani Dhanmandi
  Rampura Bazar-324006

HDFC एवं अन्य बैंको से ऋण लिया जा सकता है।
Ph. No. 93519689,9829096505

इसके अतिरिक्त ई-मित्र के समस्त केन्द्रो पर भी योजना हेतु
Online आवेदन किया जा सकता है।

नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पत्र के साथ

1. आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक **HDFC BANK** के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है। पूर्ण फार्म मय देय पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट

   सचिव नगर विकास न्यास, कोटा

   के नाम से उक्त बैंक में जमा होंगे। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र राजस्थान के सभी ई–मित्र केन्द्रों के माध्यम से Online भी जमा करवाये जा सकते है
2. आयु/जन्म प्रमाण–पत्र
3. आवेदक अपने खाते का एक Cancelled Cheque CTS 2010 सलंग्न करें।
4. आय प्रमाण–पत्र
5. निवास प्रमाण–पत्र
6. अगर आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आवेदन किया है तो सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
7. फोटो पहचान–पत्र
8. 50,000 की जनसंख्या वाले शहर में लीजहोल्ड/फ्री होल्ड का भूखण्ड/आवास नहीं होने का स्व. घोषणा पत्र।

आवेदन पुस्तिका अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित **HDFC BANK** की कोटा शहर स्थित सभी शाखाओं से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र मय देय राशि पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से देय ड्राफ्ट एवं निम्नलिखित दस्तावेजों के उक्त बैंक में जमा करवाये जा सकते है।

ध्यान देने योग्य बातें......

1. अनुमोदित आवासीय योजनाओं में ही भूखण्ड खरीदे।
2. नियमानुसार नियमन शुल्क जमा करवाकर पट्टा प्राप्त करें।
3. नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करावें।
4. नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर भूखण्डों का हस्तान्तरण करें।
5. अवैध अनियमित योजनाओं में भूखण्ड नहीं खरीदें।
6. कोई भी भूखण्ड खरीदने से पूर्व बेचानकर्ता / विकासकर्ता / डीलर से न्यास द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान मांगें।
7. भूखण्ड खरीदने से पूर्व ले आउट प्लान अवश्य देखें, निर्धारित शुल्क पर भुगतान कर नगर विकास न्यास से लेआउट प्लान की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है।
8. अनुमोदित योजनाओं के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु न्यास की भूमि रूपान्तरण शाखा से सम्पर्क करें।

कृपया अपनी संस्कृति एवं पर्यावरण से प्रेम करें एवं इसकी रक्षा करें ।

नगर विकास न्यास, कोटा
Ph. : 0744 2500567
Email uitkota2002@yahoo.com www.uitkota.org

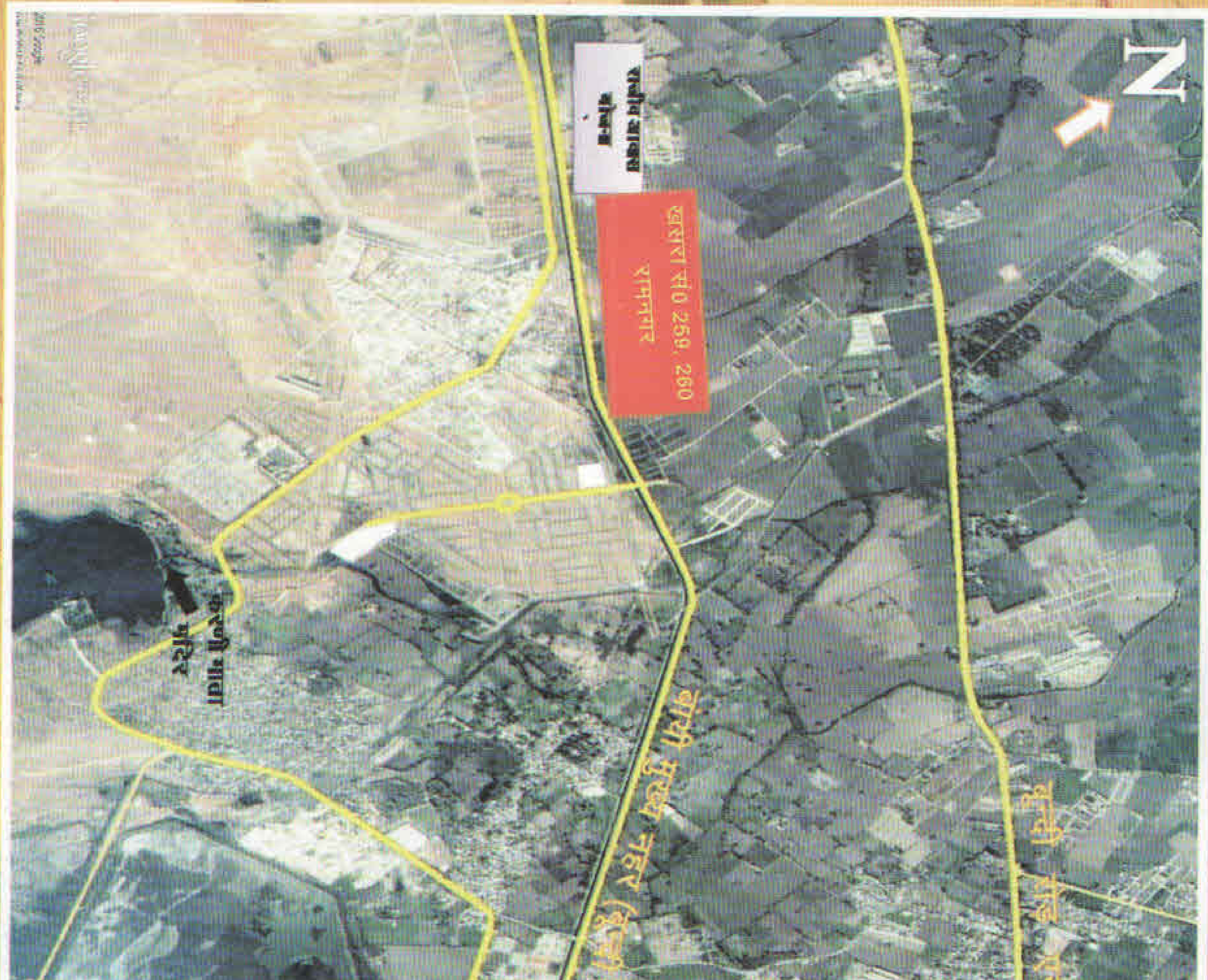

मुद्रकः तिरुपति ऑफसेट प्रिन्टर्स प्रा. लि., 5-बी-46, विज्ञान नगर, कोटा फोन : 2420103

राजस्थान टॉउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना खसरा नं. 259,260 रामनगर में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित फ्लेटों का आवंटन

1.सामान्य निबंधन एवं शर्ते

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों के अनुसार निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) के लिए फ्लेट आरक्षित किये गये है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध मे समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना में नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा **2 मई 2016** से इन आरक्षित फ्लेटों हेतु पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहें है।

उपलब्ध फ्लेटों का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 'अ'

क्रम	योजना का विवरण	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के फ्लेटों की संख्या (EWS)
1.	खसरा नं0 259,260 रामनगर	40

2. आवेदन पत्र के साथ देय राशि का विवरण

- पात्रता हेतु वार्षिक आय एवं आवेदन पत्र के साथ देय राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका 'ब'

क्र.सं.	आय वर्ग	पात्रता हेतु परिवार की सकल वार्षिक आय	आवेदन पत्र के साथ देय राशि का विवरण		कुल देय राशि
			प्रशासनिक शुल्क	पंजीयनशुल्क	
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	रू. 1.50 लाख तक	रू.2000.00	रू.6000.00	रू.8000.00

- **लाटरी में चयन में असफल रहे आवेदकों को प्रशासनिक शुल्क रोकते हुए पंजीयन राशि लौटा दी जावेगी। प्रशासनिक राशि non refundable एवं non adjustable होगी।**
- **सफल आवेदकों की देय राशि (प्रशासनिक एवं पंजीयन राशि) को फ्लेट की कीमत में adjust नहीं किया जावेगा। सफल आवेदकों की समस्त देय राशि non refundable एवं non adjustable होगी।**

3. फ्लेटों की अनुमानित कीमत

फ्लेटों की अनुमानित लागत का विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका 'स'

क्र.सं.	विवरण	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग
1.	खसरा सं. 259,260 रामनगर	
	i) कुल निर्मित क्षेत्रफल	346.68 वर्ग फीट
	ii) आवंटन दर	रू. 850 प्रति वर्ग फीट
	iii) फ्लेट की अनुमानित कीमत	रू. 2.95 लाख

5. फ्लेटों में विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण

5.1 फ्लेटों का आरक्षण निम्नानुसार किया गया है।

राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी	अनु. जनजाति	अनु. जाति	विकलांग	अधिस्वीकृत पत्रकार	सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक परिवार भी एवं उनके शामिल है)			अनारक्षित श्रेणी
					10%			
					शहीद सैनिक की विधवा एवं आश्रित (अ)	सैनिक विकलांग (ब)	अन्य सैनिक (स)	
18%	6%	9%	2%	2%				53%

5.2 किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष फ्लेटों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।

5.3 किसी आरक्षित वर्ग में आरक्षण कोटे के अनुसार आवास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उस आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा।

5.4 जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायो व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा । ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमो के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित फ्लेटों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होगे।

5.5 अनु. जाति/अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.6 विकलांग व्यक्ति वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके हैं, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पत्र

नवीनतम सत्यापित फोटो

राजस्थान टॉउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना खसरा नं. 259 एवं 260 रामनगर कमजोर आय वर्ग (EWS) के लिये आरक्षित फ्लेटों का आवंटन

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. जन्म तिथि ....
4. राष्ट्रीयता ....
5. व्यवसाय का नाम एवं स्वरूप ....
6. (अ)पत्र व्यवहार का पता ....
   .... मोबाइल नं. ....
7. आवेदक/आवेदिका की कुल वार्षिक आय (रू. में) .... (वित्तीय वर्ष 2013.14)
   (अ) स्वयं की ....
   (ब) आश्रितों की आय .... कुल वार्षिक आय (अ+ब) : ....
8. जमा राशि .... बैंक ड्राफ्ट सं. ....
   दिनांक .... बैंक का नाम ....
9. निम्नांकित तालिका में अपना वर्ग (श्रेणी) इंगित करें (प्रमाण – पत्र संलग्न करें)
   राज्य सरकार के कर्मचारी — अनु जाति
   अनु जनजाति — भू. पू. सैनिक/सैनिकों की विधवा
   विकलांग — अधिस्वीकृत पत्रकार
10. निम्न दस्तावेज संलग्न करें।
    प्रशासनिक शुल्क का बैंक ड्राफ्ट छायाप्रति के साथ ( )फोटो पहचान ( ) Cancelled Cheque या पासबुक की प्रति
11. क्या स्वयं अथवा आश्रित संबंधी के पास पूर्णतया भाग के रूप में कोई फ्री होल्ड पट्टे पर कोटा मे आवासीय भूखण्ड या मकान है या हाँ तो उसका विवरण.
    ....
12. सत्यनिष्ठा कथन :
    क. मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नही गया है।
    ख. मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबन्धों एवं शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ लिया तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।
    ग. मेरा या मेरे आश्रितों का शहर क्षेत्र जिसमें पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ मैं पूर्णतया अथवा भाग रूप में, फ्री होल्ड या पट्टे के आधार पर प्लाट या आवास नहीं है।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :

राजस्थान टाउनशिप पॉलसी 2010 के अन्तर्गत

निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना खसरा नं. 259 एवं 260 रामनगर

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये
नाम व पता

__________ जमा राशि ....

__________ बैंक व शाखा का नाम ....

__________ जमा करने की तिथि ....

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील

संख्या– FLATSKOUIT

नगर विकास न्यास, कोटा

प्रथम प्रति

कर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

न नं. दिनांक ....

दक का नाम ....

/पति का नाम ....

....

....

....

ान टाउनशिप पॉलसी 2010 के अन्तर्गत निजी
खातेदारी की अनुमोदित योजना

ख़सरा नं. 259,260 रामनगर

विवरण	रूपये
राशि र्थिक दृष्टि से कमजोर ी. क्रमांक.................. क............................. का नाम..................	8000/-
योग :–	8000/-

रूपये आठ हजार मात्र ....

आवेदक के हस्ताक्षर

खाता संख्या– FLATSKOUIT

नगर विकास न्यास, कोटा

द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेट्रमेंट के साथ यू०आई०टी० को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

आवेदक का नाम ....

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

राजस्थान टाउनशिप पॉलसी 2010 के अन्तर्गत निजी
खातेदारी की अनुमोदित योजना

ख़सरा नं. 259,260 रामनगर

विवरण	रूपये
देय राशि आर्थिक दृष्टि से कमजोर डी.डी. क्रमांक.................. दिनांक............................. बैंक का नाम..................	8000/-
योग :–	8000/-

अक्षरे रूपये आठ हजार मात्र ....

आवेदक के हस्ताक्षर

खाता संख्या– FLATSKOUIT

नगर विकास न्यास, कोटा

तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

आवेदक का नाम ....

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

राजस्थान टाउनशिप पॉलसी 2010 के अन्तर्गत निजी
खातेदारी की अनुमोदित योजना

ख़सरा नं. 259,260 रामनगर

विवरण	रूपये
देय राशि आर्थिक दृष्टि से कमजोर डी.डी. क्रमांक.................. दिनांक............................. बैंक का नाम..................	8000/-
योग :–	8000/-

अक्षरे रूपये आठ हजार मात्र ....

आवेदक के हस्ताक्षर

खाता संख्या– FLATSKOUIT

नगर विकास न्यास, कोटा

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

आवेदक का नाम ....

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

राजस्थान टाउनशिप पॉलसी 2010 के अन्तर्गत निजी
खातेदारी की अनुमोदित योजना

ख़सरा नं. 259,260 रामनगर

विवरण	रूपये
देय राशि आर्थिक दृष्टि से कमजोर डी.डी. क्रमांक.................. दिनांक............................. बैंक का नाम..................	8000/-
योग :–	8000/-

अक्षरे रूपये आठ हजार मात्र ....

आवेदक के हस्ताक्षर